

**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0ब0-02/2019-229 दिनांक : 12/3/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका / राँची वन प्रमंडल, राँची /

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना “राष्ट्रीय बाँस मिशन” योजना (60:40) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कुल रु0 54.690 लाख (चौवन लाख उनहत्तर हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग :— विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-04 / 2021-33 / स्वी0 व0प0 दिनांक 05.03.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0 बजट-04 / 2021-44 आ0 व0प0 दिनांक 08.03.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष-789-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 65 राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 54.690 लाख (चौवन लाख उनहत्तर हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :—

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240601789650103	19.292
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240601789650323	13.522
कुल :—		32.814

(ख) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789650103	12.860
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789650323	9.016
कुल :—		21.876

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय बॉस मिशन योजना' हेतु स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त राशि एवं अधिरोपित शर्तों/ मार्गदर्शिका से अंकित/गठित विधियों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम-सह-नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय बॉस मिशन, राँची झारखण्ड इसका अनुश्रवण करेंगे।

6. (i) मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम-सह-नोडल पदाधिकारी राष्ट्रीय बॉस मिशन, राँची झारखण्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी निम्न कार्य पर विशेष ध्यान देंगे।

(ii) योजनानांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) भारत सरकार को भेजे जाने वाले सभी आवश्यक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

7. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय। मार्गदर्शिका में नीति उद्देश्य/लक्ष्य की प्राप्ति हो। यह भी देखा जाय कि man-animal conflicts में तुलनात्मक वर्षवार कितनी कमी आ रही है। प्रभावित श्रोतों को चिन्हित कर विशेष प्रभावित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।

(v) योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम रूप से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) सभी भुगतान DBT या सीधे खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।

(vii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(viii) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कठौती करना है, यह कठौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(ix) कंडिका—viii के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. (i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

11. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं कंडिका-10 के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

13. (i) नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

(ii) उक्त के क्रम में कतिपय कार्य है, जो विभिन्न वर्षों में संबंधित क्षेत्र में राज्य योजना / केन्द्र प्रायोजित योजना/कैम्पा योजना से होता है। इसे मैप कर e-green watch portal पर अपलोड किया जाय।

(iii) अगर e-green watch portal पर संभव नहीं है तो इस कार्य हेतु e-green watch portal जैसा दूसरा पोर्टल विकसित करने की कार्रवाई राज्य योजना अंतर्गत किया जाय। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड इसका कार्यान्वयन केन्द्रीय कृत करवायेंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में प्रधान सचिव का अनुमोदन दिनांक-15.09.2020 से प्राप्त है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार के शर्तों का अनुपालन कार्यान्वयन ऐजेंसी सुनिश्चित करेंगी।

18. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

19. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-02 / 2019-229 दिनांक- 12/3/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-02 / 2019-229 दिनांक- 12/3/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका / डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली राष्ट्रीय बॉस मिशन योजना (60:40) (अनुमूलित जारियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

SCSP Category

NBM - Annual Action Plan 2020-21 (as per prescribed norms)

Sl. No.	Name of DDO	Activity	Cost norms (Rs. In Lakh)	Subsidy	Physical Target (in no. /ha)			Financial Target/ F.Y. 2020-21 (Rs. In Lakh)			Wages (Rs. In Lakh)			M/S (Rs. In Lakh)			Publicity & Extension (Rs. In Lakh)											
					No./ha	Govt. Total		Total	Centre Share		State share	Total	Centre Share		State share	Total	Centre Share		State share									
						Govt.	Private		Total	Centre Share			Total	Centre Share			Total	Centre Share										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
A Propagation and Cultivation																												
B Bamboo Nursery both in public and by private sector																												
C																												
On Government Land																												
1	DFO, WFP, Dumka (Tasar)	Maintenance of high density Bamboo Plantation on Govt./ Panchayat community land including waste lands done during 2018-19	0.2	100 % Govt., 50 % Pvt.	19	19	19 ha	2.070	1.242	0.828	1.656	0.994	0.662	0.414	0.248	0.166												
2	DFO, WFP, Dumka (Tasar)	Maintenance of Block plantation/ Boundary plantation on Farmers field done during 2018-19	0.2	100 % Govt., 50 % Pvt.	23	23	23 ha	1.820	1.092	0.728	1.456	0.874	0.582	0.364	0.218	0.146												
3	DFO, WFP, Dumka (Tasar)	Maintenance of high density Bamboo Plantation on Govt./ Panchayat community land including waste lands done during 2019-20	0.3	100 % Govt., 50 % Pvt.	26	26	26 ha	7.800	4.680	3.120	6.240	3.744	2.496	1.560	0.936	0.624												
		Total (A)						11.690	7.014	4.676	9.352	5.612	3.740	2.338	1.402	0.936												
B Product Development and Processing																												
4	DFO, Ranchi (Work is to be Executed by Jharkhand, Ranchi under supervision of DDO)	Establishment of processing units for value addition of Bamboo (in Nos.)	30	100 % Govt., 50 % Pvt. (+ 10% for NE states)	2	2	2 No.	30.000	18.000	12.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000						
		Total (B)						30.000	18.000	12.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000	15.000	9.000	6.000						
C Research & Development (Upto 10% of allocation) (for pvt. Sector upto Rs. 10 lakhs)																												
5	CF-Plantation, Research and Evaluation Circle, Ranchi	Bamboo market research	Project Based	100 % Govt.	1	1	1 No.	3.00	1.80	1.200	1.800	1.080	0.720	1.200	0.720	0.480												
6	CF-Plantation, Research and Evaluation Circle, Ranchi (Work is to be Executed by Ram Krishan Mission, Moradabadi, Ranchi under supervision of DDO)	Establishment of tissue culture lab including strengthen	Project Based	100 % Govt.	1	1	1 No.	10.000	6.000	4.000	6.000	3.600	2.400	4.000	2.400	1.600												
		Sub Total (C)						1	1	13.000	7.800	5.200	7.800	4.680	3.120	5.200	3.120	2.080	13.522	9.016	0.000	0.000	0.000					
		Sub- Total A+B+C						54.690	32.814	21.876	32.152	19.292	12.860	22.538	13.522	9.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							


अपर प्रधान मुख्य सरकारी सचिव, निकाय
सारांखण्ड, रोची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-02/2019/229

दिनांक -

12-Mar-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 19 240601789650103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40) 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme State Scheme : NATIONAL BAMBOO MISSION(1726) Central Scheme : NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)	86850	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	रुपये पाँच लाख इक्सठ हजार दो सौ 561,200.00
2	C 19 240601789650103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40) 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Central Scheme State Scheme : NATIONAL BAMBOO MISSION(1726) Central Scheme : NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)	86852	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	रुपये नौ लाख 900,000.00
				1,461,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चौदह लाख इक्सठ हजार दो सौ

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	C 19 240601789650103	86859	DRNFWL020	468,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		N.S.R. KUMAR	रुपये चार लाख अडसठ हजार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CF.PLANTATION	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		RES.&EVL.JHKD	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	Central Scheme			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
4	S 19 240601789650103	86881	DMKFOR004	374,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI RAJ KISHOR	रुपये तीन लाख चौहत्तर हजार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CHAUDHARY	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		D.F.O.W.F.P.DUMKA	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	Central Scheme (State Share)			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
5	S 19 240601789650103	86884	DRNFWL013	600,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR DUBEY	रुपये ४ लाख
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		DFO. RANCHI FORES	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी		DIVISION RA	
	Central Scheme (State Share)			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		

योगः

कलिक गोपः

ਨੂੰ ਪਾਂਧੀ ਜਾਂ ਲਾਖ ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੌ

1,442,000.00

2,903,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601789650103	86886	DRNFWL020	312,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		N.S.R. KUMAR	रुपये तीन लाख बारह हजार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CF.PLANTATION	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		RES.&EVL.JHKD	
	01 - बेतन एवं भर्ते			
	03 - मजदूरी			
	Central Scheme (State Share)			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
7	C 19 240601789650323	86864	DMKFOR004	140,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI RAJ KISHOR	रुपये एक लाख चालीस हजार दो
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CHAUDHARY	सौ
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		D.F.O.W.F.P.DUMKA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	Central Scheme			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
8	C 19 240601789650323	86867	DRNFWL013	900,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR DUBEY	रुपये नौ लाख
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DFO. RANCHI FORES	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		DIVISION RA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	Central Scheme			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
				1,352,200.00
योग:				4,255,400.00
क्रमिक योग:	रुपये बयालीस लाख पचपन हजार चार सौ			
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL. PCCF,DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	C 19 240601789650323	86869	DRNFWL020	312,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			रुपये तीन लाख बारह हजार
	01 - वानिकी		N.S.R. KUMAR	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CF.PLANTATION	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		RES.&EVL.JHKD	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	Central Scheme			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
10	S 19 240601789650323	86888	DMKFOR004	93,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			रुपये तिरनावे हजार छ: सौ
	01 - वानिकी		SRI RAJ KISHOR	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		CHAUDHARY	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		D.F.O.W.F.P.DUMKA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	Central Scheme (State Share)			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
11	S 19 240601789650323	86889	DRNFWL013	600,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			रुपये छ: लाख
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR DUBEY	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		DFO. RANCHI FOREST	
	65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40)		DIVISION RA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	Central Scheme (State Share)			
	State Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(1726)		
	Central Scheme :	NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)		
योग:				1,005,600.00
क्रमिक योग:				5,261,000.00
रुपये बाबन लाख इक्सठ हजार				
<i>(NAND KISHORE SINGH)</i> ADDL. PCCF, DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	S 19 240601789650323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 65 - राष्ट्रीय बैम्बू मिशन (60:40) 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Central Scheme (State Share) State Scheme : NATIONAL BAMBOO MISSION(1726) Central Scheme : NATIONAL BAMBOO MISSION(3540)	86890	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	208,000.00 रुपये दो लाख आठ हजार



योग:

208,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चौपन लाख उनहत्तर हजार

5,469,000.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL: PCCF, DEV, JHARKHAND